न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील संख्या/43/2022

मैसर्स सिंघल समूह, सरक्यूलर रोड़ भरतपुर जरिये भागीदार सतीश कुमार पुत्र श्री कपूरचन्द सिंघल जातियान वैश्य निवासीयान ए–98 रनजीत नगर भरतपुर, राज0
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पो.

अपील खिलाफ नामान्तकरण संख्या 1347 निर्णय
दिनांक 10.6.2014 चक नम्बर 2 कस्बा भरतपुर

उपस्थित :–
1–श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अपीलान्ट
2–पैरोकार सरकार रेस्पो.

निर्णय

दिनांक 22.3.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो व खिलाफ नामान्तकरण संख्या 1347 दिनांक 10.6.2014 के पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1347 चक नम्बर 2 कस्वा भरतपुर के इस न्यायालय में दिनांक 10.7.2014 को पेश की गई थी।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्षकारान की मैरिट पर बहस सुनी जाकर दिनांक 27.3.2017 को गुणावगुण के अधार पर अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने के आदेश पारित किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.3.2017 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा एक अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर के यहॉ पेश की गई। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4.7.2022 से अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.3.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि ".....अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुए माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 4254/2019 में पारित निर्णय दिनांक 9–12–19 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये नये सिरे से निर्णय पारित करें..... ।"

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर से पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में माननीय संभागीय आयुक्त के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया तथा दौराने बहस एक प्रार्थना पत्र मय निर्णय दिनांक 9–12–2019 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी एलआर/4254/2019 भरतपुर उनवानी कपूरचन्द सिंधल बनाम सरकार की प्रति पेश की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 9.12.2019 की पालना कराई जावे, अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर तहसीलदार भरतपुर को पुनः नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की।

पैरोकार सरकार तहसीलदार भरतपुर की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानी आदेश 9.12.2019 की पालना में जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/12/30/1976 / 30 दिनांक 24.3.2021 की पालना पूर्व में ही की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में स्वीकार किये गये नामान्तकरण की प्रति पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। पैरोकार ने अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानी आदेश दिनांक 9.12.2019 एवं संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के निर्णय दिनांक 4.7.2022 का अध्ययन किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत पत्रादि का अध्ययन किया गया। जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/12/30/1976 / 30 दिनांक 24.3.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि, जिला कलक्टर,भरतपुर के यह प्रशासनिक आदेश, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानी निर्णय दिनांक 9–12–2019 की पालना में जारी किया गया है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश क्रमांक/राजस्व/12/30/1976/30 दिनांक 24–3–2021 यह निर्विवाद है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानी निर्णय दिनांक 9.12.2019 की पालना में तहसीलदार भरतपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1470 दिनांक 24.3.2021 स्वीकार किया गया जिसमें ख.न. 852/1 रकवा 0.22, ख.नं. 853 रकवा 0.13, 852 रकबा 0.48 कस्वा भरतपुर चक न.2 को औद्योगिक कॉमर्शियल एरिया हि. पूर्ण खातेदार दर्ज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्रकरण अपील में अब प्रथक से कोई न्यायिक निर्णय पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल निरस्त के रहती है।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.3.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डा.अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)